# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 1217 सन 2021
अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामरख पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. देवाराम पुत्र मुकनाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
2. प्रभूराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
3. भुराराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
4. रूपराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
5. नोरगराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
6. ईश्वरलाल पुत्र देवाम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
7. लालचन्द पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
8. सन्तोष पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
9. ममता पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
10. आशादेवी पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
11. सावीत्री पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
12. रूकमणी पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :– 16.12.2021**

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक मदराना के खाता संख्या 16/18 की कुल 1.8590हैक्. व रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 109/123 की कुल 10.648हैक्. एव रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 191/156 की कुल 3.770हैक्. भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा मुकनाराम वल्द खुम्बाराम की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि थी वादी के दादा मुकनाराम वल्द खुम्बाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार

Scanned with CamScanner

काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुकनाराम वल्द खुम्बाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का पिता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाव भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 , न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है। अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक मदराना के खाता संख्या 16/18 की कुल 1.8590हैक्ट व रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 109/123 की कुल 10.648हैक्ट एव रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 191/156 की कुल 3.770हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा मुकनाराम वल्द खुम्बराम ने अपने कब्जा काश्त की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नम से दर्ज हुई है जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का

Scanned with CamScanner

त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत्तो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मदराना के खाता संख्या 16/18 की कुल 1.8590हैक्ट व रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 109/123 की कुल 10.648हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव रोही मौजा बिरकाली वारानी के खाता संख्या 191/156 की कुल 3.770हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... सिरगसर

Scanned with CamScanner

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
## पर्चा डिक्री
( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )
## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामरख पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. देवाराम पुत्र मुकनाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
2. प्रभूराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
3. भुराराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
4. रूपराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
5. नोरगराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
6. ईश्वरलाल पुत्र देवााम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
7. लालचन्द पुत्र देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
8. सन्तोष पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
9. ममता पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
10. आशादेवी पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
11. सावीत्री पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
12. रूकमणी पुत्री देवाराम जाति कुम्हार ( प्रजापत ) निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 1217 सन 2021 निर्णय दिनांक– 16.12.2021**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मदराना के खाता संख्या 16/18 की कुल 1.8590हैक्ट व रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 109/123 की कुल 10.648हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 191/156 की कुल 3.770हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....सिरगसर

Scanned with CamScanner